संख्या– 2416 /II–2017 /04(11)/2010

प्रेषक,

ओमकार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

परियोजना मण्डल देहरादून
डायरी संख्या 6277
दिनांक 18/12/2017

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 14 दिसम्बर, 2017

विषय– सौंग बांध परियोजना के निर्माण की सैद्वान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3621/प्र0अ0/सि0वि0/नियो0अनु0/सौंग बांध दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि देहरादून व आस–पास के क्षेत्रों में स्थित प्राकृतिक जल स्रोतो एवं शहरी नदियों को पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्तावित सौंग बांध परियोजना के निर्माण की सैद्वान्तिक/प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 (छायाप्रति संलग्न) में निहित व्यवस्थानुसार परियोजना निर्माण के आगणन की स्वीकृति के सम्बंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन स्तर में प्राप्त होने पर ही वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (1)/ II(2)–2017–04(11)/2010तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।

(Vinod Kumar Pant)
Chief Engineer, Dehradun
Irrigation Department, Uttarakhand
Yamuna Colony, Dehradun

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
सं0–57/xxvii(1)/2010
देहरादूनः दिनांकः।7 अक्टूबर, 2010
कार्यालय ज्ञाप

वर्त्तमान में विभिन्न विभागों में निर्माण व विकास कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत मात्र प्लिन्थ एरिया दरों पर बने आगणनों पर दी जा रही हैं। इस प्रक्रिया में निर्माण कार्य के साथ–साथ अन्य प्रक्रियात्मक कार्यों जैसे विस्तृत आगणन का बनाया जाना, वन भूमि हस्तांतरण (NPV), भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट आदि हेतु भी स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन प्रक्रियात्मक कार्यों को पूर्ण करने में लगने वाले समय के कारण निर्माण कार्यों में Time/Cost over run की समस्या बनी रहती है। इससे आगणन को पुर्नरीक्षित किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। कतिपय प्रकरणों में परियोजना यथा अपेक्षित पूर्ण नहीं हो पाती है, जिससे परियोजना का पूर्ण लाभ जनता को नहीं मिल पाता है एवं शासन पर भी अनावश्यक अतिरिक्त व्यय भार पड़ता है। तदनुसार एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत मात्र प्लिन्थ एरिया दरों पर बने आगणनों पर स्वीकृति दिये जाने की व्यवस्था को एतद् द्वारा समाप्त किया जाता है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रकिया को सरल एवं कारगर बनाये जाने तथा परियोजना में अनावश्यक समय तथा Cost Over Run को दूर करने के उद्देश्य से परियोजना की स्वीकृति दो चरणों में दिये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में परियोजना/योजना पर वित्त विभाग में सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रकियात्मक कार्यो जैसे विस्तृत आगणन का बनाया जाना, वन भूमि हस्तांतरण (NPV), भू–अधिग्रहण यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि कार्यों सम्बन्धी आगणन पर वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी तथा दूसरे चरण में परियोजना रिपोर्ट (DPR) एवं विस्तृत आगणन के आधार पर वित्तीय स्वीकृति दी जायेगी।

इस दृष्टि से प्रचलित व्यवस्था में गुणात्मक अभिवृद्धि करने तथा कार्यों को स्वीकृत लागत के अन्तर्गत समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराने के लिये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों में निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

1. (i) प्रशासकीय विभाग के स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु नामित संगठन/कार्य दाई संस्था द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का आंकलन तथा प्रक्रियात्मक कार्यों हेतु आगणन प्रस्तुत किया जायेगा। इस आगणन में परियोजना के प्रकियात्मक कार्यों जैसे– वन भूमि हस्तातरण (NPV), भू–अधिग्रहण यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी, विस्तृत आगणन का बनाया जाना आदि हेतु मदवार प्रस्तावित लागत की धनराशि इंगित की जायेगी।
इसके बाद परियोजना पर वित्त विभाग में सैद्धान्तिक प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी, साथ ही साथ उपरोक्त वर्णित प्रक्रियात्मक कार्यो पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इस स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण कार्य कदापि प्रारम्भ नही किया जायेगा।

(ii) वित्तीय स्वीकृति के आधार पर निर्माण संगठन/कार्य दाई सस्था द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तत्पश्चात् निर्माण संगठन/कार्य दाई संस्था द्वारा एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) विस्तृत आगणन के आधार पर तैयार की जायेगी।

(iii) कार्यदायी संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report) एवं विस्तृत आगणन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा जिस पर वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृति प्रदान की जायेगी। यदि कुल योजना/परियोजना रू0 5 करोड़ से अधिक मूल्य की है तो प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त वित्त विभाग में सहमति दी जायेगी, यदि योजना/परियोजना रू0 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की है तो शासनादेश संख्या–403/xxvii/(1)2008, दिनांक 30 मई, 2008 के अनुसार प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर पर परीक्षण के बाद वित्त विभाग में सहमति दी जायेगी।

(iv) विभाग द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आदि प्राप्त कर निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति 2008 के अनुसार निविदा आमंत्रित कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

2. सामान्यतः उपरोक्त प्रस्तर–1 में दी गयी प्रकिया नवीन (ग्रीन फील्ड) परियोजनाओं पर लागू होगी। कतिपय ऐसी नवीन परियोजनाऐं भी हो सकती है, जिनमें कोई जटिलता निहित नहीं हैं (जैसे भूमि उपलब्ध हैं तथा वन भूमि हस्तांतरण (NPV) का बिन्दु नहीं है,) तथा जिनमें कोई विशेष प्रारम्भिक प्रकियात्मक कार्य आवश्यक नहीं है। इस प्रकार की परियोजनाओं पर लिए सीधे परियोजना रिपोर्ट (DPR) एवं विस्तृत आगणन के आधार पर स्वीकृति दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग स्वविवेक से यह निर्णय लेंगे कि परियोजना में प्रकियात्मक कार्यों हेतु आकलन किये जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं।

3. किसी भी दशा में एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत मात्र प्लिन्थ एरिया दरों पर बने आगणनों पर स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

4. प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय शासनादेश सं0–475/xxvii(7)/2008 दिनांक: 15 दिसम्बर, 2008 में निर्धारित प्रारूप पर समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को आवश्यक धनराशि एम0ओ0यू0 के निष्पादन के बाद अवमुक्त की जा सकेगी। कार्य एम0ओ0यू0 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा तथा एम0ओ0यू0 में निर्धारित शर्त के अनुसार परियोजना के पूर्ण करने की अवधि में लागत पुर्नरीक्षण की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का होगा तथा परियोजनाओं को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. कार्यदायी संस्थाओं को डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों एवं साज सज्जा विषयक सर्विस प्रभार शासनादेश सं0–163/xxvii(7)/2007, दिनांक: 22 मई, 2008 के अनुसार देय होगा।

6. कार्यदायी संस्था द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें। इन निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 571/xxvii (1)/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, नियोजन, राज्य योजना आयोग प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वित्त नियंत्रक /वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
(राधा रतूड़ी)
सचिव।